राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –10/2012/सिरोही

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त–सिरोही ....**अपीलार्थी.**

बनाम्

मैसर्स दिव्य ज्योति ऑटोमोबाईल्स सिरोही रोड़, सिरोही ....**प्रत्यर्थी.**

अपील संख्या –26/2012/सिरोही

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त–सिरोही ....**अपीलार्थी.**

बनाम्

मैसर्स गायत्री एन्टरप्राईजेज, सिरोही ....**प्रत्यर्थी.**

अपील संख्या –29/2012/सिरोही

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त–सिरोही ....**अपीलार्थी.**

बनाम्

मैसर्स खण्डेलवाल धर्मचन्द वजीगजी, सिरोही ....**प्रत्यर्थी.**

अपील संख्या –40/2012/सिरोही

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त–सिरोही ....**अपीलार्थी.**

बनाम्

मैसर्स श्री दुर्गा स्टोर्स, सिरोही ....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी. ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक। ....**अपीलार्थी की ओर से.**

अनुपस्थित
(एकपक्षीय कार्यवाही) ....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 22.08.2016

निर्णय

1. उक्त चारों अपीलें राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा गया है) के अपील सं. क्रमांक 89, 94, 99, 87/आरवैट/सिरोही/2010–11 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 14.06.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 82 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

22/08/16

लगातार..................2

2. उक्त चारों अपीलों में विवाद बिन्दु समान होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

3. उक्त प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी का कर निर्धारण वर्ष 2007–08 का निर्धारण आदेश वित्त अधिनियम, 2009 दिनांक 08.07.2009 की अधिसूचना एफ2(23)विधि/2/2009 के क्रम में वेट अधिनियम की धारा 58 के नये व पुराने प्रावधानों के तहत् वार्षिक विवरण पत्र वेट–11 विलम्ब से पेश करने पर अपीलार्थी पर शास्ति रूपये 5000/– आरोपित की गई है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14.06.2011 को अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर पुराने प्रावधानों के तहत् आरोपित शास्ति 5000/– रूपये में से 500/– शास्ति आरोपित कर शेष 4500/–रूपये की शास्ति अपास्त कर दी। अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 14.06.2011 से व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में धारा 58 के तहत् दिनांक 08.07.2009 के वित्त अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन के अनुक्रम में शास्ति आरोपित की गई है। प्रकरण वर्ष 2007–08 से संबंधित है, जबकि कर निर्धारण आदेश उक्त संशोधन के बाद पारित किये गये है। अतः शास्ति का आरोपण कर निर्धारण आदेश पारित करने के समय विद्यमान विधिक प्रावधानों के अनुकूल किया गया है। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टांत माया रानी पुंज बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दहेली के तीन सदस्यीय पीठ के निर्णय 65 एसटीसी 416 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का अवलम्ब लिया। जिसके अनुसार विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने का अपराध निरन्तर अपराध (continuing offence) की श्रेणी में आता है। जो विलम्ब (default) होने के साथ यह अपराध शुरू होता है तथा बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत करने तक जारी रहता है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने आगे कहा है कि माननीय न्यायालय ने इस निर्णय में यह भी निर्णित किया है कि अवहेलना (Default) के समय जो कानून प्रचलित था उसके प्रावधान के अनुसार शास्ति आरोपणीय है। इस प्रकार उप राजकीय अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिक प्रावधानों के प्रतिकुल होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति यथावत कायम करे जाने योग्य है। इस प्रकार उक्त अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

22/08/16

लगातार..................3

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण धारा 58 के तहत् नये एवं पुराने प्रावधानों के तहत् प्रत्येक प्रकरणों में रूपये 5000/– की शास्ति जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित की गयी है, वह तथ्यों से परे, अविधिक एवं अव्यवहारिक है। वेट अधिनियम की धारा 58 के अनुसार दिनांक 08.07.2009 के संशोधन से पूर्व मासिकदाता पर रूपये 10/–प्रतिदिन या कर दायित्व का 20 प्रतिशत तक अधिकतम शास्ति व कर दायित्व रूपये 20,000/– रूपये वार्षिक के कम रहने पर अधिकतम शास्ति रूपये 500/– आरोपित करने का प्रावधान था। दिनांक 08.07.2009 को संशोधन के पश्चात् प्रथम 15 दिन तक 100/– रूपये प्रतिदिन व तत्पश्चात् प्रतिदिन रूपये 500/– व अधिकतम कर दायित्व का 30 प्रतिशत तक शास्ति का प्रावधान है। प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि जो रिटर्न 8 जुलाई, 2009 के बाद देय बनते है, उसी पर दिनांक 08.07.2019 के प्रावधान लागू होगे। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण पर अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति रूपये 500/– ही आरोपित की जा सकती है। इस प्रकार प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.06.2011 का समर्थन करते हुए यह कथन किया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने उक्त आदेश में यह निष्कर्ष दिया है कि ''संशोधन दिनांक 08.07.2009 उन्हीं विवरणियों के मामलें में प्रभावी होंगे जो कि 08.07.2009 के पश्चात् दाखिल किये जाते है। इस कारण इससे पूर्व की अवधि के तिमाही विवरणियों के लिये यह लागू नहीं होगे। प्रत्यर्थीगण व्यवसाइयों द्वारा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत् प्रशमन का ऑप्शन लिया हुआ है तथा उक्त प्रकरणों में अधिनियम की धारा 3(2) के तहत् वार्षिक विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण पुराने प्रावधानों के तहत् रूपये 500/– की शास्ति ही आरोपित की जा सकती है। फलतः उक्त प्रकरणों में रूपये 500/– प्रति प्रकरण की शास्ति यथावत कायम रखते हुए शेष शास्ति रूपये 4500/– अपास्त की गयी है।'' प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 14.06.2011 का समर्थन करते हुए यह कथन किया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में 500/–रूपये प्रति प्रकरण की शास्ति यथावत कायम रखते हुए शेष शास्ति रूपये 4500/– अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई। इस प्रकार प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त अपीलों को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश

लगातार..................4

अधिनियम की धारा 24 के तहत् पारित किया गया है। जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकरण में 5000 / — रूपये शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 14.06.2011 द्वारा उक्त प्रकरणों में रूपये 500 / — प्रति प्रकरण की शास्ति यथावत कायम रखते हुए शेष शास्ति रूपये 4500 / — अपास्त की गयी है। उक्त प्रत्येक प्रकरणों में आरोपित शास्ति में से 4500 / — रूपये इस आधार पर अपास्त किया कि "नये प्रावधान दिनांक 08.07.2009 से ही प्रभावी हुए है तथा इन्हें पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं दिया गया है। अतः संशोधन दिनांक 08.07.2009 उन्हीं विवरणियों के मामलों में प्रभावी होंगे जो कि दिनांक 08.07.2009 के पश्चात् दाखिल किये जाने है। अतः बिक्री विवरण पत्रों का विलम्ब दिनांक 08.07.2009 से पूर्व प्रारम्भ हो गया था तथा आलोच्य अवधी भी दिनांक 08.07.2009 से पूर्व की है। इसलिये धारा 58 के संशोधित प्रावधान जो कि दिनांक 08.07.2009 से प्रभावी हुए है के तहत् इन प्रकरणों में शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है।"

7. वार्षिक विवरण पत्र 11 विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए धारा 58 के अन्तर्गत दिनांक 07.07.2009 तक 10 / —रूपये प्रतिदिन के हिसाब से तथा दिनांक 08.07.2009 से नये संशोधित प्रावधानुसार 15 दिन के विलम्ब तक 100 / — रूपये प्रतिदिन एवं इसके आगे के विलम्ब के लिये प्रतिदिन 500 / —रूपये अथवा अधिकतम आउटपुट का 30 प्रतिशत के हिसाब से शास्ति आरोपित की गई। दिनांक 08.07.2009 से पूर्व यानि दिनांक 07.07.2009 तक वैट अधिनियम की धारा 58 के जो प्रावधान प्रभावी थे, वो इस प्रकार हैः—

(i) In case the dealer is required to pay tax every moth under section 20, a sum equal to rupees ten per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in aggregate twenty percent of the tax so assessed.

(ii) In all other cases, a sum equal to rupees five per day subject to a maximum limit of rupees five hundred, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

चुंकि हस्तगत प्रकरण में वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति विवादित है अतः वैट अधिनियम की धारा 58 का अध्ययन करना सुसंगत है। दिनांक 08.07.2009 से पुर्नः स्थापित (substitute) की गई है, वो इस प्रकार है :—

"58 Penalty for failure to furnish return - Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorized by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed "to

Amitabh 22/08/16

furnish" prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay be way of penalty.(i) in case the dealer is required "to pay tax monthly under section 20, a sum equal to rupees one hundred per day for first fifteen days of such default and thereafter a sum equal to rupees five hundred per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in the aggregate thirty percent of the tax so assessed; and

(iii) in all other cases, a sum equal to rupees fifty per day subject to a maximum limit of rupees five thousand, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

8. हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्डपीठ तीन सदस्यीय माया रानी पुंज बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देहली के प्रकरण में दिए गए निर्णय (65 एसटीसी 416) में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि यद्यपि विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने का अपराध 29 सितम्बर 1961 से प्रारम्भ हुआ और यह अपराध तब तक जारी रहेगा। जब तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है। इस प्रकार विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने का अपराध निरन्तर अपराध (Continuing Offence) की श्रेणी मं आता है जो विलम्ब (Default) होने के साथ अपराध शुरू होता है तथा बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत करने तक जारी रहता है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :—

"The imposition of penalty not confined to the first default but with reference to the continued default is obviously on the footing that non-compliance with the obligation of making a return, is an infraction as long as the default continued. Without sanction of law, no penalty is imposable with reference to the defaulting conduct. The position that penalty is imposable not only for the first default but as, long as the default continues and such penalty is to be calculated at a prescribed rate on monthly basis is indicative of the legislative intention in unmistakable terms that as long as the assessed does not comply with the requirements of law, he continues to be guilty of the infraction and exposes himself to the penalty provided by law."

10. उपरोक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण था कि व्यवहारी, जिसको कर निर्धारण वर्ष 1961—62 के लिए आयकर विवरणी दिनांक 28.09.1961 तक प्रस्तुत करनी थी, ने उक्त अवधि में विवरणी प्रस्तुत नहीं कर, लगभग सात माह विलम्ब से यानी 03.05.1962 को प्रस्तुत की। परन्तु उक्त अवधि के दौरान आयकर अधिनियम, 1922 के स्थान पर आयकर

लगातार..................6

22/08/16

अधिनियम, 1961 (1 अप्रेल 1862 से) प्रभावी हो चुका था, अतः आयकर अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 27(1)(ए) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विलम्ब से प्रस्तुत विवरणी पर शास्ति आरोपित कर दी। माननीय न्यायालय ने इस निर्णय में यह अभिनिर्धारति किया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 27(1)(ए) के अन्तर्गत शास्ति इस धारा के प्रावधानुसार आरोपित की जानी न्यायोचित है क्योंकि इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् भी यह अपराध जारी रहा।

11. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने चारों तिमाही विवरण प्रपत्र व बिक्री विवरणी प्रस्तुत करने में विलम्ब किया है जो निरन्तर अपराध (continuous offence) की श्रेणी में आता है। जो विक्रय विवरणियां प्रस्तुत करने तक जारी रहा।

12. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब से पेश की गई बिक्री विवरण पत्रों के लिये वैट अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत दिनांक 07.07.2009 तक के विलम्ब के लिये तत्समय तक प्रभावी धारा के प्रावधानों के अनुसार तथा दिनांक 08.07.2009 से विलम्ब लगातार रहने तक की अवधि के लिये दिनांक 08.07.2009 से प्रभावी संशोधित प्रावधानों के अनुसार वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति आरोपित की गई।

13. माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2359, 2360 व 2361/2011/सिरोही के मामले में दिनांक 29.08.2012 को दिये गये निर्णय में भी अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वार वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति की विधिसम्मत माना गया है। इस निर्णय के प्रकरण में एवम् हस्तगत प्रकरणों के तथ्यों में पूर्णतया समानता है।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, वर्तमान चारों प्रकरणों में अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित की गई शास्ति पूर्णतया उचित है परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक दृष्टि से सहीं नहीं है।

15. उपर्युक्त विवेचनानुसार उद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति आरोपित किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2011 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है

22/08/16

लगातार..................7

16. परिणामस्वरूप अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपीलें स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति विधिसम्मत होने से पुनर्स्थापित (restore) की जाती है।

17. निर्णय सुनाया गया।

22/08/16

(राजीव चौधरी)
सदस्य